न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/5144/2005/जैसलमेर</u>

1– श्री अलसाराम पुत्री मोतीराम मृतक जरिये वारिसान–
1/1 नागाराम पुत्र अलसाराम जाति जाट निवासी अलानिया की ढाणी (बांदरा) तहसील व जिला बाडमेर

–अपीलार्थी

बनाम

1– लांगा उर्फ लोगिया पुत्र प्रागाजी मृतक जरिये वारिसान–
1/1 बलवंता
1/2 डूंगरा
1/3 टीकम
1/4 मु0 मधरी बेवा लंगा
2– पुनमा पुत्र मोडा मृतक जरिये वारिसान–
2/1 राऊ पुत्र पुनमा
2/2 पदमा पुत्र पुनमा
2/3 जगा पुत्र पुनमा
2/4 मु0 मीरो बेवा पुनमा
3– पुरखा पुत्र मोडा
4– चीमा पुत्र मोडा
5– मु0 नाजू बेवा मानका
6– गुमना पुत्र मोडा
समस्त जाति मेघवाल निवासी अलानिया की ढाणी (बांदरा) तहसील व जिला बाडमेर

–प्रत्यर्थीगण

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री राम दयाल मीणा, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित
श्री वीरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री हगामीलाल चौधरी, अधिवक्ता प्रत्यार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 04–07–2023

अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर द्वारा अपील संख्या– 16/2004 बउनवानी लांगा बनाम अलसाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–10–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी वादी ने परगना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाडमेर के न्यायालय में प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर ग्राम बांदरा तहसील बाडमेर स्थित खसरा नंबर 539 रकबा 91 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने के वक्त उक्त आराजी पर बहसीयत खातेदार कृषक काबिज था। अतः वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे। विचारण न्यायालय ने वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 4, 5, 6 व 7 की ओर से इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया और प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने वादी की मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपीबद्ध करने के उपरांत एकतरफा बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 31–12–1975 से डिक्री करते हुए वादी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 06–10–2015 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर वादी अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष पेश की है।

3– विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि वादी अपीलांट का दावा अंतर्गत धारा 88 और 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खसरा नंबर 539 रकबा 91 बीघा 8 बिसवा वादी की खातेदारी में दर्ज था। सेट्लमेंट से मिलकर प्रतिवादी ने अपने नाम दर्ज करा लिया। दावा करने पर प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 6 व 7 का इकबाली जवाबदावा पेश हुआ और प्रतिवादी संख्या 1 व 5 हाजिर आने बावजूद अगली पेशी पर गैरहाजिर हो गए, जिससे उनके विरुद्ध दिनांक 9–10–1974 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए लेकिन बाद में दिनांक 4–12–1974 को एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त की गई और दिनांक 18–12–1974 को जवाबदावा पेश किया। दिनांक 31–12–1975 को प्रतिवादी संख्या 1 की एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया और वाद डिक्री किया। उसके लगभग 30 वर्ष पश्चात् लांगा के वारिसान की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ अपील दिनांक 12–08–2004 को प्रस्तुत की, जो बिना किसी आधार के अंदर मियाद मानकर अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त कर दिया। अधिक से अधिक जब विचारण न्यायालय द्वारा तनकी नहीं बनाई तो तनकीवार विनिश्चय करने के लिए रिमांड करते और अपील स्वीकार करने से पहले

आदेश 41 नियम 3ए सीपीसी के तहत मियाद के बिंदु को भी तय करते लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 के अधिवक्ता ने नो इस्ट्रक्शन प्लीड किया है तो पक्षकार को नोटिस देना आवश्यक है लेकिन राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील रिमांड करने की बजाए स्वीकार कर ली। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर ही अपील खारिज होनी चाहिए थी दिनांक 31–12–1975 को राजस्व रिकॉर्ड मे उसका नाम आ गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं अधिक से अधिक मामला रिमांड का हो सकता था। अतः अपील स्वीकार की जाए और राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय अपास्त किया जाए और मामला पुनः निर्णय हेतु उपखण्ड अधिकारी / राजस्व अपील प्राधिकारी को रिमांड किया जाए।

5– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट का तर्क है कि वादी ने पुश्तैनी जमीन के आधार पर दावा किया था। सेट्लमेंट की गलती बताई है, सेट्लमेंट से पहले का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है और प्रतिवादी ने जवाबदावे में भी इस तथ्य का खंडन किया है। अधिवक्ता ने नो इंस्ट्रक्शन प्लीड किया है इसकी जानकारी लांगा को नहीं थी। धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन मे समस्त आधार लिए हैं और निर्णय पर अपील अंदर मियाद मानकर ही फैसला किया है। धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जा सकती। अनुसूचित जाति व जनजाति की जमीन किसी भी हालत में चेंज नहीं हो सकती और जो निर्णय वादी के विरुद्ध है, उसमें मियाद के अधिनियम लागू ही नहीं होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले के कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं और धारा 63 के प्रावधान भी धारा 42 से बाधित हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाए। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है।–

1– 2012 डीएनजे पेज 764 (SC)
2– 2014–15 (Supp.) आरआरटी पेज 62
3– 2009 आरआरडी पेज 225

6– उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से यह तर्क किया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 3–ए के तहत मियाद के बिंदु को तय किए बिना ही निर्णय पारित किया गया, इसलिए उक्त निर्णय निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। इस तर्क के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 6–10–2005 के पेज नंबर–8 पर यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि हम अपील को अंदर मियाद शुमार करना उचित समझते हैं अर्थात प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को

अंदर मियाद मानकर ही निर्णय पारित किया गया है इसलिए विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क मानने योग्य नहीं है। आगे विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का एक तर्क यह भी है कि मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर ही अपील खारिज हो जानी चाहिए थी क्योंकि 30 साल बाद यह अपील पेश की है। इस तर्क के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के बारे में विस्तृत कारण देते हुए उन्होंने यह माना है कि अपीलार्थी को निर्णय की जानकारी नहीं थी और धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपील को मियाद अंदर माना है और उक्त बताए गए कारण समुचित हैं इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करने में कोई अवैधता नहीं की है।

8– जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि भूमि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की है तो दीगर व्यक्तियों के नाम भूमि का हस्तांतरण नहीं हो सकता।

धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भी यह प्रावधान दिए गए हैं– धारा42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– **विक्रय, दान तथा वसीयत पर सामान्य प्रतिबंध** – खातेदार आसामी द्वारा अपने सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र में या उसके भाग में अपने हित की बिक्री दान (गिफ्ट) या वसीयत शून्य होगा यदि–

(क) **विलोपित** ।

(ख) उक्त विक्रय, दान या वसीयत अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जाति का नहीं हो अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जनजाति का नहीं हो।

(खख) खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए, सहरिया अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उक्त सहरिया जनजाति का सदस्य नहीं है, ऐसा विक्रय, दान या वसीयत ।

(ग) **विलोपित** ।

अर्थात् उक्त कानूनी प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आराजी सामान्य जाति के व्यक्तियों के नाम नहीं हो सकती और विद्धान अधिवक्ता रैस्पोडेन्ट कि ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2012 डीएनजे पेज 764 (SC) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया है कि– Rajasthan Tenancy Act 1955 section 42 (b) transfer of Land by a member of scheduled caste to a juristic person, other than scheduled caste- High Court held that transfer is not void and not hit by section 42 (b)- respondent company purchased the land but the revenue authorities refused the mutation-expression 'person' used in section 42 (b) can only be a natural person and not a juristic person-finding of the high court is untainable and revenue authorities rightly refused the mutation- held, sale deed and transfer

of the land is void since it is hit by section 42 (b)- judgments are set aside.

अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2014–15 (Supp.) आरआरटी पेज 62 में यह व्यक्त किया है कि– Rajasthan Tenancy Act 1955- section 224 and 88- suit decreed ex-parte- Counsel pleaded no instruction on behalf of the appellant- No notice was issued by the court and granted decree ex-parte- held, judgement and decree are satisfied and case remanded to trial court to decide afresh on merits.

अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2009 आरआरडी पेज 225 में यह व्यक्त किया है कि– Rajasthan Tenancy Act, Sections 88, 188- Second appeals against order of R.A.A- Held, suit for declaration of khatedari rights filed in respect of disputed land on the basis of adverse possession against recorded khatedars who are Scheduled Castes- Khatedari rights can be conferred only u/s 13, 15, 19, R.T. Act- Case of appellants does not come under any of these Sections- Khatedari rights cannot be given on the basis of adverse possession- Section 42 prohibits transfer of land by khatedar tenant belonging to the Scheduled Castes or Tribes to a person of other castes- There is no illegality or infirmity in the order of R.A.A. and Asstt. Collector- No interference, required in the orders.

09– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का एक तर्क यह भी है कि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हो चुके है उन्हें धारा 63 के अलावा वंचित नही किया जा सकता, उक्त तर्को का खंडन करते हुए रैस्पोडेन्ट का तर्क है कि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जमीन सामान्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती और धारा 63 के प्रावधान भी धारा 42 से बाधित है। इन परस्पर किए गए तर्को पर विचार किया। धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे यह परिस्थितियां बताई है जिनमें काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अवसान हो जाती है मौजूदा प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत अपीलार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का तर्क भी प्रभावहीन हो जाता है।

10– इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्क कानूनी प्रावधानों के परिपेक्ष्य में मानने योग्य नहीं है एवं विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर के निर्णय दिनांक 06–10–2005 मे कोई अवैधता अनियमितता नजर नहीं आती है और निर्णय की पुष्टि किये जाने योग्य है और अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

11– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है और राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर द्वारा अपील संख्या–16/2004 बउनवानी लांगा बनाम अलसाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–10–2005 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य